



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



क्षेत्रीय कार्यालय-बिहार, पंचदीप भवन,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना-800001
Tel: 0612-25211928, Fax: 0612-2533314
E-mail: rd-bihar@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

प्रेस विज्ञप्ति

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा आश्रित हितलाभ का भुगतान

पटना, दिनांक : 16/05/2024

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, बिहार क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक (प्रभारी), संजय कुमार द्वारा पंचदीप भवन, पटना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में एक सादे समारोह में मेसर्स जे.एम.डी. सर्विसेज, पटना में कार्यरत **संतोष कुमार** की मृत्यु के उपरांत उनकी आश्रिता पत्नी श्रीमती पिंगी कुमारी एवम पुत्र अभिनव कुमार को आश्रित हितलाभ प्रदान किया गया और संवेदना व्यक्त की गयी।

साथ ही, मेसर्स दुर्गा पाड़ा सामांता सिक्यूरिटी एजेंसी, पटना में कार्यरत **चंद्रेश्वर विश्वकर्मा** की मृत्यु के उपरांत उनकी आश्रिता पत्नी श्रीमती रामपरी देवी, पुत्र अभिषेक कुमार और रंजन कुमार तथा पुत्री गुड़िया कुमारी तथा शिला कुमारी को आश्रित हितलाभ प्रदान किया गया और संवेदना व्यक्त की गयी।

विदित हो कि **स्व० संतोष कुमार** तथा **स्व० चंद्रेश्वर विश्वकर्मा** की मृत्यु कार्य के दौरान रोजगार चोट के कारण हुई थी। वे दोनों ही अपने अपने परिवार में अकेले कमानेवाले थे। नियोजक द्वारा दुर्घटना रिपोर्ट भेजे जाने के पश्चात इसकी जाँच की गयी तथा ई०एस०आई०सी० द्वारा आश्रितों के लिए मासिक पेंशन स्वीकृत किया गया, क्योंकि उनकी मृत्यु कार्य के दौरान दुर्घटना में हुई थी।

उल्लेखनीय है कि कार्यस्थल पर कार्य के दौरान या कार्यस्थल जाने या वहां से घर जाने के दौरान किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना या दुर्घटना में ई०एस०आई०सी० में बीमित कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रित परिवारजनों को ई० एस० आई० योजना में वेतन का 90% तक मासिक आश्रित पेंशन दिया जाता है।

क्षेत्रीय निदेशक (प्रभारी)